तमिलनाडु राज्य व अन्य

बनाम

आर. शशि कुमार

(आपराधिक अपील संख्या 465/2001)

9 जुलाई 2008

(डॉ अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम और आफताब आलम, न्यायाधीशगण)

तमिलनाडु में अवैध शराब तस्करों, नशीली दवाओं के अपराधियों, वन अपराधियों, गुंडों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और झुग्गी-झोपडियों पर कब्जा करने वालों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1982; एस.3(1)

निरोधादेश-पुलिस आयुक्त द्वारा अभ्यावेदन पर विचार न करने के आधार पर चुनौती-उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर-की शुद्धता-अभिनिर्धारितः उच्च न्यायालय का आदेश उपधारणा पर आधारित है-केवल इसलिए कि दो प्रेषितीयों को अभ्यावेदन प्राप्त हो गया है, यह उपधारणा नहीं की जा सकती

है कि पुलिस महानिदेशक को भी प्राप्त हो गया था -सलाहकार बोर्ड को अभ्यावेदन केवल निरोधादेश पारित होने और निरूद्ध किये जाने वाले व्यक्ति को तामील होने के बाद ही दिया जा सकता है, इससे पहले नहीं, जैसा कि बंदी की मां ने दावा किया था-अतः उच्च न्यायालय ने निरोधादेश को अपास्त करने में त्रुटि की।

प्रत्यर्थी को कथित तौर पर तमिलनाडु में अवैध शराब तस्कारों, नशीली दवाओं के अपराधियों, वन अपराधियों, गुंडों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और झुग्गी-झोपडियों पर कब्जा करने वालों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1982 की धारा 3 (1) के तहत निरूद्ध किया गया था। बंदी की मां ने आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि प्राधिकारियों द्वारा निरोधादेश पारित करने से पूर्व, उसके द्वारा एक अभ्यावेदन प्रेषित किया गया था और उसकी एक प्रति पुलिस महानिदेशक और अन्य प्राधिकारियों को भेजी गई थी, जिस पर निरूद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए निरोधादेश को अपास्त किया। अतः हस्तगत अपील प्रस्तुत है।

अपीलकर्ता-राज्य ने तर्क प्रस्तुत किया कि निरोधादेश पारित होने से पहले भी किसी भी अभ्यावेदन का कोई प्रश्न नहीं था और इसे सलाहकार बोर्ड को भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1.1 उच्च न्यायालय का आदेश उपधारणा पर आधारित है। केवल इसलिए कि प्रेषितियों में से दो को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जो किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि पुलिस महानिदेशक को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो। (पैरा 4) (602-जी)

श्री आनंद हनुमत्सा कटार बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व अन्य। 2006 (10) एससीसी 725-का अवलम्ब लिया गया।

1.2 सलाहकार बोर्ड को अभ्यावेदन देने का प्रश्न निरोधादेश पारित किये जाने और उसकी तामील बंदी पर करा दिये जाने पर होता है। अतः उच्च न्यायालय ने निरोधादेश को रद्द करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की है। (पैरा 5) (607- एफजी)

1.3 निरोधादेश में कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है और ऐसी अंतिम घटना दिनांक 22.6.1999 की थी। निरोधादेश दिनांक 9.7.1999 को पारित किया गया था और अतः, इसे पूर्व घटनाओं से संबंधित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय का आलौच्य आदेश अपास्त किया गया है। चूंकि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश 8 वर्ष से अधिक पूर्व में पारित किया गया था, इसलिए निरोधादेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो अनिवार्य रूप से निवारक प्रकृति का है, यह राज्य सरकार और निरूद्ध करने वाले प्राधिकारी के लिए उचित है। वे विचार करें कि क्या बंदी निरोधादेश में दर्शित अवधि में से शेष निरोध अवधि भुगताने के लिए निरूद्ध करने की कोई आवश्यकता है। हालाँकि, यह न्यायालय उस पहलू पर कोई राय व्यक्त नहीं करता है। (608-ए,बी,सी)

टी.एन राज्य व अन्य बनाम अलागर 2006 (7) एससीसी 540 पर अवलम्ब लिया गया।

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी अपील संख्या 465/2001

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 1262/1999 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 24-03-2000 के विरूद्ध।

आर. सुंदरवरदन, वीजी प्रागसम, एस जे एरिस्टोटल एवं प्रभुरामा सुब्रमणयन अपीलाथियों की ओर से।

के के मणि (एसी) सीकेआर लेनिन सेकर एवं मयूर आर शाह प्रत्यथीगण की ओर से।

न्यायालय, जिसके द्वारा निर्णय दिया गया।

डॉ अरिजीत पसायत, न्यायाधीश

1. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकृत्त की गई है, जिसमें पुलिस आयुक्त, चेन्नई द्वारा पारित निरोधादेश अर्थात् डिटेंशन ऑर्डर 519/बीडीएफजीआईएस/99 दिनांकित 09.07.1999 को चुनौती दी गई है।

2. पृष्ठभूमि में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है-

प्रत्यर्थी (जिसे आगे बंदी के रूप में संबोधित किया जायेगा) को तमिलनाडु अवैध शराब तस्करों, नशीली दवाओं के अपराधियों, वन अपराधियों, गुंडों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और झुग्गी झोपडियों पर कब्जे करने वालों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम,

1982(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत निरूद्ध किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष एक मात्र बिंदु यह रखा गया था कि निरोधादेश दिनांक 09.07.1999 को पारित किया गया था और दिनांक 06.07.1999 को बंदी की मां ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा था। अभ्यावेदन की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, चेन्नई, अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के साथ साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पृष्ठांकित की भेजी गई थी। इसलिए यह अग्रेस्थापन किया गया कि अभ्यावेदन के प्रेषण की साक्ष्य थी और चूंकि निरोध प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए निरोधादेश दुषित था। निरोध प्राधिकारी का पक्ष यह था कि अभ्यावेदन निरोध प्राधिकारी को नहीं भेजा गया था और इसलिए, निरोधादेश पारित करने से पूर्व उस पर विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उच्च न्यायालय ने पाया कि चूंकि दो अधिकारियों को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, इसलिए यह उपधारणा की जानी चाहिए कि सामान्य प्रक्रम में पुलिस महानिदेशक को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ होगा। यह उपधारणा की गई कि पुलिस महानिदेशक को अभ्यावेदन की तामिल हो गई थी और तद्नुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुलिस महानिदेशक को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ होगा और चूंकि उस पर विचार नहीं किया गया,

इसलिए भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में "संविधान") के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन हुआ। तद्नुसार, निरोधादेश रद्द किया गया।

तमिलनाडु राज्य और निरोध प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय के आदेश की शुद्धता को चुनौती दी है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2000 को नोटिस जारी किया गया था। तत्पश्चात जब प्रकरण दिनांक 11.12.2000 को लिया गया तो यह ज्ञात हुआ कि बंदी का प्रतिनिधित्व नहीं था और बंदी की ओर से कोई उपस्थित नहीं था हालांकि उस पर तामिल हो गई थी। न्यायालय को यह भी ज्ञात हुआ कि निरूद्ध अवधि भी समाप्त हो चुकी है और बंदी को रिहा कर दिया गया है। न्यायालय ने आगे कहा कि श्री के. के. मणि, अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त करना उचित होगा।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। निरोधादेश पारित होने से पूर्व किसी भी अभ्यावेदन का कोई प्रश्न ही नहीं था और इसे सलाहकार बोर्ड को भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

4. विद्वान न्यायमित्र ने कथन किया है कि चूंकि मुख्यमंत्री और सलाहकार बोर्ड सहित अन्य को भेजे गये अभ्यावेदन प्राप्त हो गये थे, उच्च न्यायालय ने उपधारणा की है कि पुलिस महानिदेशक को नोटिस प्राप्त हुआ

है। अतः आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। हमने पाया कि उच्च न्यायालय का आदेश उपधारणा पर आधारित है। केवल इसलिए कि दो प्रेषिति को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जो किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि पुलिस महानिदेशक को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ होगा।

इसके अतिरिक्त जैसा कि अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने सही कथन किया है, निरोधादेश पारित होने से पूर्व सलाहकार बोर्ड को अभ्यावेदन भेजने का कोई प्रश्न ही नही होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना विरोध करने के लिए साक्ष्य उत्पन्न करने का एक चतुर प्रयोग है। यह एक विशिष्ट मामला है, (ऐसे मामले बहुत तेजी से बढ रहे है) जहां न्याय की दिशा को भटकाने के लिए साशय मुख्य बिन्दु से हटकर ध्यान भटकाने के लिए तर्क दिये जाते है। श्री आनंद हनुमत्सा कटार बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व अन्य (2006(10) एससीसी 725) में इस न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है किः-

> “11. इस स्तर पर भारत संघ बनाम पॉल मनिकम (2003(8) एससीसी 342) के पैरा 17 से 19 पर ध्यान आकृष्ट करना प्रासंगिक होगा। जो इस प्रकार हैः (एससीसी पृष्ठ सं. 354-55)’’

“17. इस प्रश्न पर आते है कि क्या भारत के राष्ट्रपति को अभ्यावेदन देना विधि की आवश्यकता की पूर्ति करता है? यह उल्लेखनीय है कि राघवेन्द्र बनाम अधीक्षक, जिला जेल, कानपुर (1986(1) एससीसी 650) और रूमाना बेगम बनाम एपी राज्य (1993 सप्लीमेंट(2) एससीसी 341) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को, जैसा भी मामला हेा, को अभ्यावेदन दिये जाने से यह माना जायेगा कि क्रमशः केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को अभ्यावेदन दिया गया है इसलिए भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेजा गया अभ्यावेदन केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को अभ्यावेदन देना माना जायेगा। लेकिन किसी अनैतिक बंदी को प्राधिकारियों को आश्चर्यचकित करने, गुप्त रूप से या परोक्ष प्रयोजन के साथ कार्य करने की आड में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। वर्तमान मामले में निरोधादेश (आधार) में विशिष्ट रूप से इस प्राधिकारी को दर्शाया गया है जिसे अभ्यावेदन दिया जाना था। इस तरह का संकेत वास्तव में किये गये अभ्यावेदन पर शीघ्र विचार करने को सुकर बनाने के प्रयास का भी एक हिस्सा है।"

“18. ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रत्यर्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से आया है। रिट याचिका में यह उल्लेख नहीं था कि राष्ट्रपति को अभ्यावेदन दिया गया था; इसके बजाय पेराग्राफ सं. 23 में विशिष्ट रूप से उल्लेखित था कि अभ्यावेदन दिनांक 11.05.2000 को प्रत्यर्थी सं. 2 को जरिये पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था और इसी तरह का अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या 02 को भेजा गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 02 का विवरण निम्न प्रकार हैः-

1. तमिलनाडु राज्य प्रतिनिधित्व जरिये सचिव, तमिलनाडु सरकार, सार्वजनिक (एससी) विभाग, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई 600009

2. भारत संघ, प्रतिनिधित्व जरिये सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।"

“19. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है पुनर्विलोकन आवेदन में पहली बार यह खुलासा किया गया था कि अभ्यावेदन भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया था और तमिलनाडु राज्य या भारत संघ को कोई अभ्यावेदन नहीं भेजा गया, जो रिट याचिका में

पक्षकार बनाये गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भ्रम पैदा करने और इस तरह के संदिग्ध युक्ति को अपनाकर अवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया है। उच्च न्यायालय ने विवाद बिंदुओं के बिल्कुल नये आधार के साथ पुनर्विलोकन याचिका पर विचार करने में अपने अधिकार क्षेत्र का भी उल्लंघन किया है। पुनर्विलोकन के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय को उन तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए था जिनका रिट याचिका में खुलासा नहीं किया गया था या छिपाया गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण आवेदन के निस्तारण के समय तकनीकी पहलुओं को अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही जहां न्यायालय संतुष्ट हो कि अशुद्ध दृष्टिकोण बरत कर न्याय की दिशा को भटकाने का प्रयास किया गया है तो न्यायालय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जब भी निर्दिष्ट प्राधिकारियों के बजाय राष्ट्रपति ओर राज्यपाल को कोई अभ्यावेदन दिया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि अभ्यावेदन में यह दर्शित हेाना चाहिए कि अभ्यावेदन निर्दिष्ट प्राधिकारियों को न भेजकर, राष्ट्रपति या राज्यपाल को ही क्यों भेजा गया है। यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया

जाना चाहिए कि अभ्यावेदन विशेष रूप से किसको दिया गया है, न कि उस तरीके से जैसा कि मौजूदा मामला में किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंधित सरकारों के संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन संबंधित स्तरों पर दिन-प्रतिदिन का प्रशासन संबंधित विभागों/मंत्रालयों के प्रमुखों और नामित अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है जो किसी दिये गये मामले में की गई या की जाने वाली कार्यवाही के लिए स्वतः ही अंततः जिम्मेदार और जवाबदेह होते है। यदि वास्तव में संबंधित नागरिक विशुद्ध और ईमानदारी से महसूस करता है या अपनी शिकायत पर शीघ्र विचार या निपटान करवाने में रूचि रखता है तो उसे ईमानदारी से संबंधित वास्तविक प्राधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए और जानबूझकर विचार में देरी की स्थिति उत्पन्न करने के एकमात्र उद्देश्य से कोई भी संदिग्ध युक्ति नहीं अपनानी चाहिए और अपने अभ्यावेदन को किसी ऐसे प्राधिकारी को, जो सीधे तौर पर या तुरंत उस पर विचार करने के लिए संबंधित नहीं है, निर्देशित करके अपने छलछदित आधारों पर राहत की गुहार लगाये।"

“12. भारत संघ बनाम छाया घोषाल (2005(10) एससीसी 97) के पैरा संख्या 17 से 19 भी प्रासंगिक है, वे निम्न प्रकार हैः-(एससीसी पीपी. 106-07)‘‘

“17. बंदी प्रत्यक्षीकरण आवेदन के निस्तारण के समय तकनीकी बिंदुओं को अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन साथ ही जहां न्यायालय संतुष्ट हो कि अशुद्ध दृष्टिकोण बरतकर न्याय की दिशा को भटकाने का प्रयास किया गया है तो न्यायालय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जब भी निर्दिष्ट प्राधिकारियों के बजाय राष्ट्रपति आर राज्यपाल को कोई अभ्यावेदन दिया जाता है तो यह स्वाभाविक है कि अभ्यावेदन में यह दशित होना चाहिए कि अभ्यावेदन निर्दिष्ट प्राधिकारियों को भेजकर राष्ट्रपति या राज्यपाल को ही क्या भेजा गया है। यह भी स्पष्ट रूप से दशार्या जाना चाहिए कि अभ्यावेदन विशेष रूप से किसको दिया गया है, न कि उस तरीके से जैसा कि मौजूदा मामला में किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंधित सरकारों के संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन संबंधित स्तरों पर दिन-प्रतिदिन का प्रशासन संबंधित विभागों/मंत्रालयों के प्रमुखों और नामित

अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है जो किसी दिये गये मामले में की गई या की जाने वाली कार्यवाही के लिए स्वतः ही अंततः जिम्मेदार और जवाबदेह होते है।"

“18. हालाँकि, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति इस तरह से कार्य करने का प्रयास करता है जिसका उद्देश्य उसके व्यक्तिगत अधिकार की सुरक्षा के बजाय न्याय के मार्ग को भटकाना है, तो न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिये तथ्य स्थिति का युक्तियुक्त संतुलन बनाना होगा कि यह सुनिश्चित करें कि केवल कुछ विलंब के तथ्य का उपयोग राहत प्रदान करने के लिए नहीं किया जाए। यदि कोई धोखाधड़ी की गई है या अंजाम दिया गया है, तो यह किसी दिए गए मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के पोषित लक्ष्य को अमान्य कर सकता है, जिसने व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्र के हितों को संतुलित करके ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय को दिशानिर्देश तैयार करने के लिए बाध्य किया है।"

“19. आर. केशव बनाम एमबी प्रकाश (2001(2) एससीसी 145) में इस न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया हैः (एससीसी पृष्ठ 154, पैरा 17) ‘‘ 17. हम संतुष्ट हैं कि इस मामले में बंदी को संविधान के अनुच्छेद 22(5) में दिए गए निरोधादेश के विरूद्ध उचित सरकार/प्राधिकरणों को अभ्यावेदन पेश करने के अपने अधिकार से अवगत कराया गया था। जानकारी के बावजूद बंदी ने अवसर का फायदा नहीं उठाया। उपयुक्त सरकार या पुष्टि करने वाला प्राधिकारी को अभ्यावेदन देने के बजाय, बंदी ने अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों को इसकी प्रति भेजने के अनुरोध के बिना ही केवल सलाहकार बोर्ड को अभ्यावेदन संबोधित करने का विकल्प चुना। अभ्यावेदन के अभाव में या बंदी द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन के ज्ञान के अभाव में, सलाहकार बोर्ड को बंदी द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन को छोड़कर रिकॉर्ड और दस्तावेजात का अवलोकन कर पारित निरोधादेश की पुष्टि करने में समुचित सरकार को उचित ठहराया गया था। समुचित सरकार की इस कथित विफलता के लिए, समुचित सरकार का निरोधादेश न तो असंवैधानिक है और न ही अवैध।"

5. सलाहकार बोर्ड को अभ्यावेदन देने का प्रश्न तभी उठता है जब निरोधादेश पारित कर दिया गया हो और बंदी पर उसकी तामील करा दी गयी हो। अतः उच्च न्यायालय ने निरोधादेश को रद्द करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की है।

6. एक अन्य बिंदु जिस पर आग्रह किया गया है वह यह है कि निरोधादेश में उल्लिखित घटना पुरानी है और निरोधादेश के लिए आधार नहीं बन सकती है। हमने पाया है कि निरोधादेश में कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है और इनमें से अंतिम घटना दिनांक 22.6.1999 की थी। निरोधादेश दिनांक 9.7.1999 को पारित किया गया था और इसलिए, इसे पुरानी घटनाओं से संबंधित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय का अलौच्य आदेश अपास्त किया जाता है। चूंकि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश 8 वर्ष से अधिक समय पहले पारित किया गया था, इसलिए निरोधादेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो अनिवार्य रूप से निवारक प्रकृति का है, राज्य सरकार और निरूद्ध करने वाले प्राधिकारी के लिए यह विचार करना उचित होगा कि क्या बंदी को शेष अवधि के लिए जिसे निरोधादेश में दर्शाया गया था, वापस निरूद्ध करना आवश्यक है। हम उस पहलू पर कोई राय व्यक्त नहीं करते है। टीएन राज्य व अन्य बनाम अलागर 2006 (7) एससीसी 540 में निम्न प्रकार प्रतिपादित किया गया है:-

''9. शेष प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी को समय बीतने के मद्देनजर शेष निरोध अवधि के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश देना उचित होगा। जैसा कि सुनील फूलचंद शाह बनाम भारत संघ (2000 (3) एससीसी 409) और टीएन राज्य बनाम केथियान पेरूमल (2004 (3) एससीसी 409) में निर्धारित किया गया है कि इस पर विचार करना उप्युक्त राज्य पर निर्भर करता है कि क्या कृत्यों का प्रभाव, जिसके कारण निरोधादेश पारित किया गया था, अभी भी उत्तराजिवित है और क्या निरोध की शेष अवधि भुगताने के लिए बंदी को वापस भेजना वांछनीय होगा। इस संबंध में अपीलकर्ता राज्य द्वारा दो महीने के भीतर समुचित आदेश पारित किया जा सकेगा। सभी मामलों में बीती समयावधि बंदी को निरोध की शेष अवधि भुगतने के लिए नहीं भेजने का आधार नहीं हो सकता। यह सब कृत्य के तथ्यों और उनके जारी रहन या अन्यथा आपत्तिजनक कृत्यों के प्रभाव पर निर्भर करता है। राज्य इस बात पर विचार करेगा कि क्या उस आदेश में इंगित निरोध अवधि जिसके द्वारा निर्धारित बंदी को निरूद्ध किया जाना आवश्यक था और वह तारीख जब बंदी को

वर्तमान आदेश के अनुसार निरूध करना आवश्यक है के बीच अभी भी कोई निकटतम अस्थाई संबंध मौजूद है।"

8. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

जे. (डॉ. अरिजीत पसायत)

जे. (पी. सदाशिवम)

जे. (आफ़ताब आलम)

नई दिल्ली,

9 जुलाई 2008

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पी.के.मिश्रा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।